भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश–फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–13 / 2017–18

केस का प्रकार :– नामान्तरण अपील

कान्ति देवी, पति–स्व0 केदार नाथ गुप्ता ..... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

शान्ति देवी, पति–श्री राम अवतार साव ..... विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता कान्ति देवी, पति–स्व0 केदार नाथ गुप्ता उर्फ केदार नाथ साव,निवासी पता–R/O H.No.-8,Gummoy colony, थाना–मानगो टाउन जमशेदपुर,जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,स्थायी पता – ईचड़ा, थाना–जादुगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर ने शान्ति देवी, पति–श्री राम अवतार साव, ग्राम–ईचड़ा, थाना–जादुगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–04 / 2002–03 में दिनांक–13 / 07 / 2002 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया हैं। उक्त के आलोक में उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या–04 / 2002–03 प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ वकालतनामा,एवंLimitation Act.-5 का आवेदन, Title suit,नामान्तरण मुकदमा संख्या–04 / 2002–03 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति के साथ दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन पत्र द्वारा बताया कि अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा निर्गत नामान्तरण शुद्धि–पत्र परअन्य हिस्सेदार का नाम जोड़ने हेतु अपील आवेदन समर्पित किया गया है। प्रश्नगत भूमि मौजा–ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–126, प्लॉट नं0–497, रकवा–0.08½ डीसमलभूमि से संबंधित है। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0	

वाद संख्या–297 / 1989–90में पारितआदेश के आलोक में वर्त्तमान में पारित नामान्तरण मुकदमा को प्रभावित किया है। निम्न आधार पर अपीलकर्त्ता द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–04 / 2002–03में पारित आदेश पर असंतोष जहीर की गयी है।नामान्तरण मुकदमा संख्या–04 / 2002–03,में दिनांक–13 / 07 / 2002 को पारित आदेश में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा केम्प में टेबल कुर्सी पर बैठ–बैठे ही जाँच प्रतिवेदन तैयार कर उनके आधार पर किया गया है जो तथ्यात्मक बिन्दुओं की सत्यता को नही दर्शता है। तदनुसारशुद्धि–पत्र में संशोधन करते हुए अपीलकर्त्ता के नाम को जोड़ा जाए। अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा तथ्यों को स्थल का विस्तृत जाँच किये बिना ही तथा बिना बिचार विमर्श के ही नामान्तरण शुद्धि–पत्र निर्गत किया गया है। स्वर्गीय बलदेव साव के वैधिक उत्तराधिकारीअर्थात (1)राम अवतार साव, (2) केदार नाथ साव, तथा (3) विजय कुमार साव जो की विरासत में मिली सम्पति को अन्य हिस्सेदारों का नाम नामान्तरण शुद्धि–पत्र में जोड़ा जाना चाहिए। स्वत्व वाद संख्या–11 / 96 में आदेश पारित करते समय श्रीमती शांति देवी के पति राम अवतार साहु का लिखित बयान दर्ज है कि प्रश्नगत भूमि पर सभी वैध उत्तराधिकारियों का जमीन बराबार–बराबार अंशों में स्वीकार्य था परन्तु शांति देवी ने सभी जमीन को अपना नाम पर नामान्तरण करा लिया है। अंचल अधिकारी, मुसाबनी ने द्वितीय पक्ष के जमीन के कब्जे के आधार पर नामान्तरण को स्वीकार किया गया है जबकि शेष उत्तराधिकारियों के नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए था। शेष उत्तराधिकारियों का नामान्तरण अभिलेख में नाम दर्ज करने के लिए नामान्तरण अभिलेख रद्ध किये बिना सम्भव नही है। अपीलकर्त्ता को पूर्व में इस नामान्तरण शुद्धि–पत्र के बारे में जानकारी नही थी जिसके कारण उन्होंने अपील नही की गयी थी। अपीलकर्त्ता बिल्कुल ही अनपढ़ है इसलिए इनका कोन्डोनेशन आवेदन को सूनवाई हेतु स्वीकृत किया जाय। अपीलकर्त्ता के साथ–साथ सभी वैधिक उत्तराधिकारियों का नाम जोड़ते हुए शुद्धि–पत्र में संशोधन किया जाय तथा रजिस्टर–2 में उनका भी नाम दर्ज किया जाय। अपीलकर्त्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया है किउनके आवेदन को स्वीकार किया जाय तथा निम्न न्यायालय की नामान्तरण मुकदमा संख्या–04 / 2002–03 की माँग करते हुए वाद की सूनवाई हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

द्वितीय पक्ष की और से दिनांक–21 / 02 / 2019 को कारण–पृच्छा दाखिल किया

गया हैं। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा में उल्लेख है कि यह वाद विपक्ष के खिलाफ दायर अपील नामान्तरण वाद तथ्यात्मक बिन्दुओं पर कोई सत्यता नहीं है।उनका कथन है कि अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा पारित आदेश तथ्यों के तहत तथा नियमानुसार हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा लगाया गया अरोप बेबुनियाद है। अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा वैधिक रूप से जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही शांति देवी के पक्ष में अंतिम आदेश पारित किया गया है। वास्तव में यह नामान्तरण आदेश उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा भूमि वापसी वाद संख्या–39/85–86, दिनांक–17/01/1987 (सरावन उरांव –बनाम्– राम अवतार साव) के बीच विवादित भूमि मौजा–ईचडा, खाता नं0–126, प्लॉट नं0–497, रकवा–66 डीसमल एवं प्लॉट नं0–493, रकवा–18 डीसमल भूमि का रिभिजन एस0ए0आर वाद- संख्या–297/89–90,दिनांक–09/01/1996 के आदेश के आलोक में यह नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त भू–वापसी वाद में प्रश्नगत भूमि पर राम अवतार साव के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है तथा आवेदक सरावन उरांव के पक्ष में दखल दिलाने हेतु निदेश दिया गया। उक्त भूमि वापसी वाद में पारित आदेश के विरूद्ध राम अवतार साव ने उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के न्यायालय में एस0ए0आर0 अपील वाद दायर किया गया।वर्त्तमान विपक्षी के पति राम अवतार साव एवं सरावन उरांव के बीच समझौता हुआ और दिनांक–09/01/96 को अंतिम आदेश पारित किया गया। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा एस0ए0आर0 वाद को दिनांक–09/01/1996 को राम अवतार के पक्ष में कुल जमीन 84 डीसमल भूमि में से 10½ डीसमल भूमि का आदेश पारित किया गया, जिसमें विपक्षी का मकान बना हुआ है।अवशेष भूमि कुल रकवा–55½ डीसमल भूमि सरावन उरांव को वापस कर दिया तथा 10½ डीसमल भूमि के मुल्य के बराबार कुल राशि 1,07,500.00 रूपयेराम अवतार द्वारा न्यायालय को जमा कर दिया है। आदेश पारित होने के पूर्व वर्तमान विपक्षी के पति द्वारा 02 डीसमल जमीन का बिक्री किया गया है। 08½डीसमल जमीन ही राम अवतार साव के पास अवशेष रहा। उतना ही जमीन का विपक्षी के नाम पर अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा राम अवतार साव के विधवा पत्नी शांति देवी के नाम पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। जिसका नामान्तरण मुकदमा संख्या– 04/2002–03 है। राम अवतार साव (विपक्षी के पति) के द्वारा सभी वादों जैसे आर0पी0 वाद, एस0ए0आर0 वाद

पर मुकदमा लड़ा है। राम अवतार के अलावा किसी दुसरों कों पक्षकार नही बनाया हैतथा प्रश्नगत भूमि पर राम अवतार साव का ही दखल–कब्जा रहा है,किसी दुसरे व्यक्ति का दखल–कब्जा नही रहा है। उक्त विवादित भूमि का मूल्य राशि–1,09,500.00 रूपये का भुगतान राम अवतार साव के द्वारा हीउपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का न्यायालय के आदेश के अनुरूप किया गया था। आर0पी0 बाद एवं एस0ए0आर0 वाद में अपीलकर्त्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्ताक्षेप नही किया गया है तथा यह सम्मिलित पारिवार का सम्पत्ति नही है। इसलिए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खरिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, मुसाबनी से प्राप्त पारित नामान्तरण मुकदमा संख्या–04/2002–03 का अवलोकन किया।अभिलेख में संलग्न जाँच प्रतिवेदन, अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन, प्रतिवादी का कारण–पृच्छा का बारी–बारी से अवलोकन किया।उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा उपरथापित दस्तावेज एवं उनके लिखित बहस का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता एवं विपक्षीकी और से उपरथापित स्वत्व वाद संख्या–11/1996, नामान्तरण मुकदमा संख्या– 04/2002–03,Limitation Act.-5एवं एस0ए0आर0 वाद संख्या –297/1989–90 का अवलोकन किया गया।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँता है कि विपक्षी के पति राव अवतार साव एस0ए0आर0 वाद संख्या–297/89–90 में अपीलकर्त्ता थे और उनके साथ ही समझौते के आधार पर जमीन के मूल्य के बराबार राशि का भुगतान किया गया है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, मुसाबनी ने विपक्षी के नाम पर वर्ष–2002–03 को नामान्तरण किया है जो सही है। विपक्षी का दखल में रहने के कारण नामान्तरण भी हो चुका तथा लगान भी अद्यतन है। तदनुसार अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, मुसाबनी द्वारा पारित नामान्तरण वाद की परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं हैं। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, मुसाबनी को वापस भेजें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–....29.../ ..06..../2020 को पारित किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित

29/06/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

29/06/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।